शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का विद्यार्थियों की नियमितता व शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव

सीमा शर्मा*

शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 (अ) को जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। जिसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 कहते हैं। यह अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से देश भर में लागू हो गया। इस कानून में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की भी बात कही गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में, शोधिका द्वारा इस विषय पर शोध किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई तथा यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के नियमों का पालन किस स्तर तक कर पा रहे हैं? विद्यार्थियों ने विद्यालयों में प्रवेश ले तो लिया है, पर क्या वे उस विद्यालय में मित्रों व शिक्षकों से समायोजन कर पा रहे हैं? क्या वे विद्यालय में नियमित उपस्थित हो रहे हैं? इसका विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? यह शोध अध्ययन मध्य प्रदेश राज्य के तीन ज़िलों — सीहोर, होशंगाबाद एवं रायसेन के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के कक्षा 6 और 7 के 750 विद्यार्थियों, 300 शिक्षक-शिक्षिकाओं, 300 अभिभावकों के न्यादर्श पर किया गया। शोध अध्ययन की प्रकृति सर्वेक्षण थी। शोध अध्ययन में प्रदत्त संकलन हेतु उपकरणों में (प्राथमिक स्रोतों के रूप में) विद्यार्थियों के लिए केंद्रित समूह चर्चा व साक्षात्कार अनुसूची; शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के लिए स्व-निर्मित प्रश्नावली; अभिभावकों के लिए स्व-निर्मित प्रश्नावली; शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण (हिंदी, गणित व अंग्रेज़ी विषयों के लिए) तथा स्व-अवलोकन प्रपत्र एवं द्वितीयक स्रोत के रूप में विद्यालय उपस्थिति रजिस्टर तथा परीक्षा परिणामों का प्रयोग किया गया। प्रदत्तों का विश्लेषण प्रतिशत, मध्यमान, प्रमाणिक, विचलन, "टी" परीक्षण तथा सहसंबंध द्वारा ज्ञात किया गया। शोध अध्ययन में निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि विद्यालय में विद्यार्थियों की नियमितता औसत से भी कम रहती है तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी निम्न पाई गई। विद्यार्थियों को कक्षा में रोकने और निष्कासन के निषेध प्रावधान के तहत रोकने पर भी वे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते। यह निष्कर्ष भी सामने आया कि इस अधिनियम के लागू होने के छह साल बीतने के बाद भी विद्यालयों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। विद्यालयों में बालक व बालिका के लिए पृथक शौचालय तक नहीं हैं और जहाँ पर पृथक शौचालय हैं, वहाँ की सफ़ाई नहीं होती है। विद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा, सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवॉल व गेट की कमी है। कुल मिलाकर बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009

* *सहायक प्राध्यापक* (बी.एड.), बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (मध्य प्रदेश) 462 026

का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं, उनके कारण तथा निराकरण आदि के बारे में अधिकांश व्यक्तियों का ज्ञान तथ्यों तक ही सीमित है। यही कारण है कि अब तक हम पर्यावरण संबंधी विश्व दृष्टिकोण का विकास नहीं कर सके। यहाँ तक कि अपने ही भविष्य के बारे में हम अब तक वर्तमान पीढ़ी को सचेत, संवेदनशील एवं सावधान करने में असफल रहे हैं।

बच्चे राष्ट्र के सर्वोच्च भविष्य हैं, उनकी देखभाल और चिंता करना हमारी ज़िम्मेदारी है। बच्चों की आवश्यकताओं और उनके प्रति हमारे दायित्व संविधान में बताए गए हैं। संविधान की धारा 26 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास एवं मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाना होगा। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 (अ) को जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा पारित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में राष्ट्र की नीति को निर्देशित करता है। आज किसी भी राष्ट्र की स्थिति का आकलन शिक्षा के स्तर द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि शिक्षा ही नागरिकों की संपन्नता, समृद्धि एवं सुरक्षा के स्तर को निर्धारित करती है। शिक्षा ही सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन है। शिक्षा के द्वारा ही विद्यार्थियों के कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि होती है। भारत के ज़िम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनने के लिए शिक्षा आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर 1 अप्रैल, 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून देश भर में लागू हुआ। जिसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 कहते हैं।

शोध की आवश्यकता एवं औचित्य

1 अप्रैल, 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून देश भर में लागू हुआ। सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से देश में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। इसमें संदेह नहीं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए गए प्रयासों से शिक्षा से वंचित अनेक बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया गया। मजूमदार (2011) के शोध द्वारा यह प्रदर्शित होता है कि 'स्कूल चलो अभियान' से विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति बढ़ी है। बच्चों के शाला त्यागने की संख्या में भी कमी आई है। लेकिन आज़ादी के छह दशक बीतने के बाद आज भी हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के बाहर हैं। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की कुल संख्या अनुमानतः 22 करोड़ है और इस आयु वर्ग के 4.6 प्रतिशत बालक (लगभग 92 लाख) अभी भी विद्यालय की चौखट तक नहीं पहुँच पाते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बुनियादी शिक्षा का अधिकार देता है। इस कानून में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की भी बात कही गई है, परंतु उनका क्रियान्वयन

समुचित रूप से विद्यालय में नहीं हो पा रहा है। आचार्य (2013) ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित शोध किया और पाया कि स्कूल प्रशासकों, शिक्षकों, अभिभावकों को शिक्षा नीतियों एवं सरकारी सुविधाओं की जानकारी का अभाव है और वे इन्हें जानने में भी रुचि नहीं लेते हैं। व्यास (2011) ने शोध में यह पाया कि 45 प्रतिशत अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों की जानकारी का अभाव है। फ्रांसिस्का (2008) ने भारत में बच्चों को शालेय उपस्थिति एवं उनकी माताओं के काम के बहुस्तरीय मॉडल पर शोध में पाया कि जब माता को काम की अधिक आवश्यकता होती है, तब उसके बच्चों की श्रम एवं घरेलू कार्यों में लगने की अधिक संभावनाएँ रहती हैं। शहरी गरीब माताओं में, जिनका काम के प्रति अधिक झुकाव है, उनमें बच्चों को स्कूल भेजने की प्रवृत्ति कम होती है। माताओं की काम को दी गई अधिक वरीयता बच्चों की स्कूल उपस्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। मजूमदार और रायचौधरी (2011) ने प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के लिए ज़िम्मेदार कारकों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि विद्यार्थियों को उनकी नियमित उपस्थिति हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। नियुक्ति विभाग को विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि स्कूल छोड़े हुए विद्यार्थी भी शामिल हो सकें। श्रीवास्तव (2012) ने आदिवासी विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति, आदिवासी विद्यार्थियों के लिए होस्टल सुविधा, 1961 से 2001 तक आदिवासी एवं सामान्य जनों में साक्षरता वृद्धि दर पर अध्ययन में पाया कि पिछले चौबीस वर्षों में सामान्य जन की अपेक्षा अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर बढ़ी है, 1981–1991 के दौरान महिला साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति में अचानक बढ़ी। किंतु अनुसूचित जनजाति में स्कूल छोड़ने की दर भी बहुत अधिक है। सामान्यतः प्रारंभिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ने की दर अधिक है, इसके प्रमुख कारण हैं—खेतों पर कार्य करना, मज़दूरी, पशु चराना, आर्थिक विपन्नता, शैक्षिक सुविधाओं की कमी आदि। गांधी और यादव (2013) ने प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया। शोध अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि महिला व पुरुष शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अंतर है। परंतु शासकीय व अशासकीय शिक्षकों की अधिनियम के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।

कुमार (2014) ने हरियाणा प्रदेश की नोडल तहसील के प्राथमिक विद्यालयों पर 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' के प्रभाव का अध्ययन किया। शोध में पाया कि अधिनियम के प्रभाव से विद्यालयों में विद्यार्थियों की नामांकन संख्या बढ़ी है। अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप शिक्षकों के कार्यभार में वृद्धि हुई। अधिनियम के क्रियान्वयन के उपरांत विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों में सुधार हुआ। अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद शिक्षण

प्रक्रिया में सुधार हुआ। अधिनियम के प्रभाव से विद्यालय में कार्यप्रणाली में परिवर्तन आया। अधिनियम के प्रभाव से विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं में विस्तार हुआ। शुक्ला (2014) ने माध्यमिक शालाओं में भौतिक मानवीय संसाधनों का विद्यार्थियों की उपस्थितियों, उपलब्धियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जिन शालाओं में भौतिक व मानवीय संसाधन पर्याप्त हैं, वहाँ विद्यार्थियों की उपस्थिति व उपलब्धि का स्तर अच्छा है। पाण्डेय (2015) द्वारा शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के कारणों का तुलनात्मक अध्ययन होशंगाबाद व इटारसी शहर के संदर्भ में किया गया। शोध के निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि विद्यार्थियों के अनुपस्थित होने का कारण शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति उदासीन रहना, कक्षा में अशांति का वातावरण होना तथा अत्यधिक गृहकार्य देना है।

अतः इस विषय पर शोध किए जाने की आवश्यकता है कि विद्यालय (आर.टी.ई. एक्ट, 2009) के नियमों का पालन किस स्तर तक कर पा रहे हैं, विद्यार्थियों ने विद्यालयों में प्रवेश ले तो लिया है, पर क्या वे उस विद्यालय में मित्रों व शिक्षकों से समायोजन कर पा रहे हैं, क्या वे विद्यालय में नियमित उपस्थित हो रहे हैं, इसका विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसी जिज्ञासावश शोधिका ने इस विषय पर शोध करना आवश्यक समझा।

शोध के उद्देश्य

इस शोध कार्य के निम्नलिखित उद्देश्य थे —

1. विद्यार्थियों की नियमितता पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रभाव जानना,
2. विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रभाव जानना,
3. विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर कक्षा में रोकने और निष्कासन का निषेध प्रावधान का प्रभाव जानना,
4. शैक्षिक उपलब्धि पर शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न के निषेध प्रावधान का प्रभाव जानना, तथा
5. विद्यार्थियों की नियमितता का शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसंबंध ज्ञात करना।

शोध की परिकल्पनाएँ

इस शोध कार्य की निम्नलिखित परिकल्पनाएँ थीं —

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों की नियमितता औसतन होती है।
2. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है।
3. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम से छात्र व छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है।
4. कक्षा में रोकने और निष्कासन का निषेध प्रावधान से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है।
5. शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न के निषेध प्रावधान से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है।

Chapter 4.indd 44 7/6/2018 10:54:37 AM

6. विद्यार्थियों की नियमितता का शैक्षिक उपलब्धि के मध्य उच्च सहसंबंध होता है।

न्यादर्श प्रारूप

इस शोध अध्ययन में मध्य प्रदेश राज्य के तीन ज़िलो—सीहोर, होशंगाबाद एवं रायसेन के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के कुल 750 विद्यार्थी, 300 शिक्षक-शिक्षिकाएँ तथा 300 अभिभावक सम्मिलित थे। इन 750 विद्यार्थियों में से 600 विद्यार्थी शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थी थे और 150 विद्यार्थी अशासकीय विद्यालयों के निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थी थे।

शोध विधि

इस शोध अध्ययन हेतु शोधार्थी ने वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया था।

उपकरण

इस शोध अध्ययन हेतु निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया गया था—

सारणी 1 — न्यादर्श का ज़िलेवार विवरण

क्र.सं.	**ज़िला**	**छात्र**	**छात्राएँ**	**कुल विद्यार्थी**
1.	सीहोर	125	125	250
2.	होशंगाबाद	125	125	250
3.	रायसेन	125	125	250
कुल		**375**	**375**	**750**

सारणी 2 — न्यादर्श में सम्मिलित अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थी संख्या

क्र.सं.	**ज़िला**	**छात्र**	**छात्राएँ**	**कुल विद्यार्थी**
1.	सीहोर	25	25	50
2.	होशंगाबाद	25	25	50
3.	रायसेन	25	25	50
कुल		**75**	**75**	**150**

सारणी 3 — न्यादर्श में सम्मिलित शिक्षकों की संख्या

क्र. सं.	**ज़िला**	**शिक्षक**	**शिक्षिकाएँ**	**कुल शिक्षक-शिक्षिकाएँ**
1.	सीहोर	50	50	100
2.	होशंगाबाद	50	50	100
3.	रायसेन	50	50	100
कुल		**150**	**150**	**300**

सारणी 4 — न्यादर्श में सम्मिलित अभिभावकों की संख्या

महिला	पुरुष	कुल
100	100	200

1. प्राथमिक स्रोत
   - विद्यार्थियों के लिए केंद्रित समूह चर्चा व साक्षात्कार अनुसूची;
   - शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापकों के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली;
   - अभिभावकों के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली;
   - शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण (हिंदी, गणित एवं अंग्रेज़ी विषयों के लिए)।
2. द्वितीयक स्रोत (विद्यालय उपस्थिति रजिस्टर एवं परीक्षा परिणाम)
3. स्व-अवलोकन प्रपत्र

प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकी

इस शोध अध्ययन में प्रदत्तों का विश्लेषण करने के लिए प्रतिशत, मध्यमान, प्रमाणिक विचलन, 'टी'-परीक्षण तथा सह-संबंध ज्ञात करने हेतु स्केटर डायग्राम और एस.पी.एस.एस. सॉफ़्टवेयर का प्रयोग किया गया।

विश्लेषण एवं परिणाम

परिकल्पना 1 — निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों की नियमितता औसतन होती है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों की नियमितता को विद्यालयों में अवलोकन व कक्षा उपस्थिति रजिस्टर के द्वारा ज्ञात किया गया। प्राप्त आँकड़ों को प्रतिशत में सारणी 5 में दर्शाया गया है।

सारणी 5 के आधार पर स्पष्ट होता है कि सीहोर ज़िले में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित 32 प्रतिशत विद्यार्थी ही नियमित विद्यालय में आते हैं। होशंगाबाद ज़िले के 40 प्रतिशत विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय आते हैं तथा रायसेन ज़िले में प्रतिदिन आने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 36 है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित 36 प्रतिशत विद्यार्थी ही नियमित विद्यालय आते हैं। अतः परिकल्पना निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों की नियमितता औसतन है, अस्वीकृत की जाती है।

सारणी 5 — ज़िलेवार विद्यार्थियों की नियमितता

क्र.सं.	ज़िला	कुल विद्यार्थी	उपस्थिति विद्यार्थी	प्रतिशत
1.	सीहोर	50	16	32 %
2.	होशंगाबाद	50	20	40 %
3.	रायसेन	50	18	36 %
कुल विद्यार्थी		**150**	**54**	**36 %**

परिकल्पना 2 — निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव को जानने हेतु विद्यार्थियों पर उपलब्धि परीक्षण प्रशासित किया गया, जिसके परिणाम सारणी 6 में दिए गए हैं।

सारणी 6 के आधार पर स्पष्ट है कि 68 प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी में मात्राओं की गलतियाँ करते हैं। 39 प्रतिशत विद्यार्थियों को बारहखड़ी का सही ज्ञान भी नहीं है। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक तक ही पहुँचने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 39 प्रतिशत है, 51 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो की अंग्रेज़ी के बड़े व छोटे अक्षरों को भी नहीं लिख पाते हैं। अंग्रेज़ी को हिंदी में न लिख पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 38 है। 69 प्रतिशत विद्यार्थी आसान से शब्दों की स्पेलिंग भी नहीं लिख पाते हैं। 72 प्रतिशत विद्यार्थी आसान से शब्दों की भी वर्तनी (स्पेलिंग) नहीं लिख पाते हैं। पहाड़े और गिनती न सुना पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 57 है। 56 प्रतिशत विद्यार्थी जोड़ने और घटाने के प्रश्न भी हल नहीं कर पाते हैं, 67 प्रतिशत विद्यार्थी गुणा और भाग के प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि निम्न है। विद्यार्थियों में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी नहीं है। शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण द्वारा प्राप्त परिणाम से ज्ञात हुआ कि मात्र 39 प्रतिशत विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हुए, जबकि 61 प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। अतः परिकल्पना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है, अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना 3 — निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम से छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है। छात्र एवं

सारणी 6 — विद्यार्थियों का शैक्षिक उपलब्धि संबंधी प्रतिशत

क्र. सं.	मुख्य बिंदु	प्रतिशत
1.	हिंदी में मात्राओं की गलतियाँ करना	68
2.	बारहखड़ी का सही ज्ञान न होना	39
3.	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक तक ही पहुँचने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत	39
4.	अंग्रेज़ी के छोटे व बड़े अक्षर न पहचानने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत	51
5.	अंग्रेज़ी का हिंदी में अर्थ न जानने वाले विद्यार्थी	38
6.	आसान शब्दों की वर्तनी (स्पेलिंग) न बता पाने वाले विद्यार्थी	69
7.	सॉरी और थैंक्यू जैसे शब्द न लिख पाने वाले विद्यार्थी	72
8.	पहाड़े और गिनती भी न सुना पाने वाले विद्यार्थी	57
9.	जोड़ना और घटाना के साधारण प्रश्न हल न कर पाने वाले विद्यार्थी	56
10.	गुणा और भाग नहीं कर पाने वाले विद्यार्थी	67

छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धियों में सार्थक अंतर है या नहीं, यह देखने के लिए टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया। प्राप्त आँकड़ों को सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 7 के आधार पर स्पष्ट है कि छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण के विश्लेषण से प्राप्त टी-मान 1.98 है जो कि df = 358 के लिए 0.01 सार्थकता स्तर पर प्राप्त मान 2.01 से कम है। अतः छात्र व छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है। अतः परिकल्पना निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम से छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है, स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना 4 — कक्षा में रोकने और निष्कासन का निषेध प्रावधान से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है। कक्षा में रोकने और निष्कासन का निषेध प्रावधान से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव को जानने हेतु शिक्षकों पर शैक्षिक उपलब्धि प्रश्नावली प्रसाशित की गई थी, जिससे प्राप्त परिणाम सारणी 8 में दिए गए हैं।

सारणी 8 से स्पष्ट होता है कि शिक्षक प्रश्नावली में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को ज्ञात करने से संबंधित प्रथम प्रश्न विद्यार्थियों की पढ़ाई के प्रति रुचि से संबंधित था, जिसमें 86 प्रतिशत

सारणी 7 — छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का टी-मान, मध्यमान व अंतर की सार्थकता

क्र.सं.	समूह	कुल संख्या	मध्यमान M	प्रमाणिक विचलन SD	मानक त्रुटि SE	टी-का सारणी मान			निष्कर्ष
						टी-मान	*0.05 सार्थकता स्तर पर*	*0.01 सार्थकता स्तर पर*	
1.	छात्र	180	21.7	3.61	0.467	1.98	2.68	2.01	सार्थक अंतर नहीं
2.	छात्रा	180	22.06	4.15					

सारणी 8 — कक्षा में रोकने और निष्कासन का निषेध प्रावधान से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि संबंधी प्रतिशत

क्र.सं.	मुख्य बिंदु	हाँ	नहीं
1.	पढ़ाई के प्रति रुचि	14 %	86 %
2.	नियमित उपस्थिति	36 %	64 %
3.	विद्यार्थी एवं शिक्षक संबंध	26 %	74 %
4.	शैक्षिक उपलब्धि	34 %	66 %
5.	प्रावधान का नकारात्मक प्रभाव	21 %	79 %
कुल प्रतिशत		**28 %**	**72 %**

शिक्षकों ने बताया कि विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं। 36 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति नियमित है, जबकि 64 प्रतिशत शिक्षक यह मानते हैं कि विद्यार्थी यह जानते हैं कि उन्हें कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। इसलिए वे विद्यालय नहीं आते हैं। 74 प्रतिशत शिक्षक यह मानते हैं कि विद्यार्थी एवं शिक्षकों के मध्य संबंध पूर्व की तुलना में अच्छे नहीं हैं, जबकि 26 प्रतिशत शिक्षक संबंधों को सामान्य बताते हैं। 66 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि न्यूनतम है। 34 प्रतिशत शिक्षकों का कहना है कि परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि ठीक है। 79 प्रतिशत शिक्षक यह मानते हैं कि प्रावधान का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उपरोक्त सभी बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि 72 प्रतिशत कारण यह स्पष्ट करते हैं कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि कम है, कक्षा में रोकने और निष्कासन के निषेध प्रावधान से विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः परिकल्पना, कक्षा में रोकने और निष्कासन का निषेध प्रावधान से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है, अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना 5 — शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न के निषेध प्रावधान से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है। शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न के निषेध प्रावधान से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव को जानने हेतु शिक्षकों पर विद्यार्थियों का शैक्षिक उपलब्धि संबंधी प्रश्नावली प्रशासित की गई थी। जिससे प्राप्त आँकड़ों को सारणी 9 में दर्शाया गया है।

सारणी 9 — शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न के निषेध प्रावधान से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि संबंधी प्रतिशत

क्र.सं.	मुख्य बिंदु	हाँ	नहीं
1.	निदानात्मक कक्षाओं का आयोजन	74 %	26 %
2.	अतिरिक्त कक्षाओं में उपस्थित रहना	24 %	76 %
3.	नियमित विद्यालय न आना	84 %	16 %
4.	परीक्षा के प्रति लापरवाही	74 %	26 %
5.	शिक्षण में रुचि का अभाव	86 %	14 %
6.	शिक्षक की आज्ञा का पालन	26 %	74 %
7.	अनुशासनहीनता	79 %	21 %
8.	शैक्षिक उपलब्धि	36 %	64 %
9.	प्रावधान का नकारात्मक प्रभाव	77 %	33 %

सारणी 9 से स्पष्ट है कि विद्यालयों में 74 प्रतिशत शिक्षकों का कहना है कि वे निदानात्मक कक्षाओं का आयोजन करते हैं। परंतु 76 प्रतिशत विद्यार्थी उन कक्षाओं में नहीं आते हैं। नियमित विद्यालय न आने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 84 प्रतिशत है। 74 प्रतिशत शिक्षक यह बताते हैं कि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का भय नहीं है, वे विद्यालय में परीक्षा के प्रति भी लापरवाही करते हैं। 86 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार विद्यालय में शिक्षण में रुचि का अभाव है। 74 प्रतिशत शिक्षक यह मानते हैं कि विद्यालय में शिक्षकों की आज्ञा का पालन नहीं होता है। 79 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार विद्यालय में अनुशासनहीनता है। विद्यार्थियों का शैक्षिक उपलब्धि संबंधी प्रतिशत 36 प्राप्त हुआ। 77 प्रतिशत शिक्षकों का कहना है कि शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न के निषेध का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट है कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि कम हुई है। अतः परिकल्पना शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न के निषेध से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है, अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना 6 — विद्यार्थियों की नियमितता का शैक्षिक उपलब्धि के मध्य उच्च सहसंबंध होता है। विद्यार्थियों की नियमितता और शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सहसंबंध है या नहीं, यह देखने के लिए नियमितता व शैक्षिक उपलब्धि के प्राप्तांकों के आधार पर एस.पी.एस.एस. के द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना की गई। गणना से प्राप्त आँकड़ों को सारणी 10 में दर्शाया गया है।

सारणी 10 से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों की नियमितता और शैक्षिक उपलब्धि के विश्लेषण से प्राप्त r का मान 0.31 है, जो कि 0.01 सार्थकता स्तर पर मान 0.25 से अधिक है। इस प्रकार परिकल्पना, नियमितता का शैक्षिक उपलब्धि के मध्य उच्च सहसंबंध होता है, स्वीकृत की जाती है। अतः विद्यार्थियों की नियमितता और शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक सहसंबंध है।

शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा उद्देश्यवार स्व-निर्मित उपकरणों एवं द्वितीयक आँकड़ों के माध्यम से जानकारी के संकलन और सारणीयन के उपरांत उनका विषय-वस्तु विश्लेषण एवं सांख्यिकीय विधियों के द्वारा विश्लेषण किया गया। जिसके उद्देश्यवार निष्कर्ष इस प्रकार हैं —

सारणी 10 — नियमितता व शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसंबंध गुणांक r का मान

क्र.सं.	चर	कुल संख्या	df	r मान	r-सारणी मान	
					0.05 सार्थकता स्तर पर	***0.01 सार्थकता स्तर पर***
1.	नियमितता	200	199	0.31	0.19	0.25
2.	शैक्षिक उपलब्धि	200	199			

विद्यार्थियों की नियमितता पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रभाव

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों की नियमितता की जाँच शोधार्थी द्वारा स्व-अवलोकन व कक्षा उपस्थिति रजिस्टर के द्वारा की गई। प्राप्त आँकड़ों का प्रतिशत निकालने पर पाया गया कि 36 प्रतिशत विद्यार्थी ही नियमित विद्यालय आते हैं। 34 प्रतिशत विद्यार्थी कभी-कभी विद्यालय आते हैं और 30 प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति मात्र 20 प्रतिशत ही है। ये वे विद्यार्थी हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, ये विद्यार्थी खेती के काम में माता-पिता के साथ रहते हैं या माता-पिता के मज़दूर होने पर छोटे-भाई बहनों की देखभाल करते हैं तथा कुछ विद्यार्थी लापरवाही या माता-पिता के ध्यान न दिए जाने के कारण झूठ-बोलकर विद्यालय नहीं जाते हैं। इस प्रकार शोध की परिकल्पना निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों की नियमितता औसतन होती है, अस्वीकृत की जाती है।

इस शोध के उक्त निष्कर्ष की पुष्टि फ्रांसिस्का (2008) के शोध से प्राप्त निष्कर्ष से होती है, जिसमें पाया गया कि जब माता को काम की अधिक आवश्यकता होती है, तब उसके बच्चों की श्रम एवं घरेलू कार्यों में लगने की अधिक संभावनाएँ रहती हैं। शहरी गरीब माताओं में जिनका काम के प्रति अधिक झुकाव है, उनके बच्चों में स्कूल जाने की प्रवृति कम होती जाती है, माताओं की काम को दी गई अधिक वरीयता बच्चों की स्कूल उपस्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। साथ ही, इस शोध के निष्कर्ष की पुष्टि श्रीवास्तव (2012) के शोध से भी होती है, जिसके निष्कर्ष में पाया गया कि प्रारंभिक शिक्षा को विद्यार्थी का खेतों में कार्य करना, मज़दूरी करना, पशु चराना, आर्थिक विपन्नता, शैक्षिक सुविधाओं की कमी आदि प्रभावित करते हैं।

चौतीस प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय में कभी-कभी विद्यालय आते हैं। विद्याथियों के साथ समूह चर्चा में निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि ये वे विद्यार्थी हैं जो कि नियमित विद्यालय आने में रुचि नहीं लेते हैं और जिन्हें शिक्षकों का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है तो कुछ के अनुसार जब वे विद्यालय आते हैं तो शिक्षकों द्वारा डाँटा जाता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इस शोध के उक्त कार्य की पुष्टि पाण्डेय (2015) के द्वारा किए गए शोध कार्य से होती है। जिसमें पाया गया कि विद्यार्थियों के अनुपस्थित होने का कारण शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति उदासीन रहना, कक्षा में अशांति का वातावरण होना तथा अत्यधिक गृहकार्य देना है।

शैक्षिक उपलब्धि पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम का प्रभाव

इस शोध में पाया गया कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि निम्न है। विद्यार्थियों में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी नहीं है। शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण द्वारा प्राप्त परिणामों से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि 39 प्रतिशत विद्यार्थी ही शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण में उत्तीर्ण हुए, जबकि 61 प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। अतः परिकल्पना निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

Chapter 4.indd 51 7/6/2018 10:54:39 AM

के अधिकार अधिनियम से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है, अस्वीकृत की जाती है।

- अड़सठ प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी में मात्राओं की गलतियाँ करते हैं।
- उनतालीस प्रतिशत विद्यार्थियों को बारहखड़ी का सही ज्ञान भी नहीं है। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक तक ही पहुँचने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 39 है।
- इक्यावन प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अंग्रेज़ी के बड़े व छोटे अक्षर को भी नहीं लिख पाते हैं। अंग्रेज़ी को हिंदी में न लिख पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 38 है।
- उनहत्तर प्रतिशत विद्यार्थी आसान शब्दों की भी वर्तनी (स्पेलिंग) नहीं लिख पाते हैं।
- बहत्तर प्रतिशत विद्यार्थी सॉरी और थैंक्यू जैसे शब्द भी नहीं लिख पाते हैं।
- पहाड़े और गिनती न सुना पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 57 है।
- छप्पन प्रतिशत विद्यार्थी जोड़ने और घटाने के प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं।
- सड़सठ प्रतिशत विद्यार्थी गुणा और भाग के प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं।

इस शोध निष्कर्ष की पुष्टि खरजे (2014) के शोध निष्कर्ष से होती है, जिसमें पाया गया कि शोध निदानात्मक कक्षाओं के अभाव में अंग्रेज़ी विषय के परिणाम में कमी पाई जाती है। कुमार (2014) के शोध निष्कर्ष में पाया गया कि अधिनियम के उपरांत विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों में सुधार हुआ। इसका कारण यह हो सकता है कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार विद्यार्थियों को कक्षा में रोकने और निष्कासन का निषेध है। अतः परीक्षा परिणामों में सुधार हुआ, परंतु विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि निम्न हुई है।

विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर कक्षा में रोकने और निष्कासन का निषेध प्रावधान का प्रभाव

इस शोध में पाया गया कि कक्षा में रोकने और निष्कासन का निषेध प्रावधान से विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं। परिकल्पना कक्षा में रोकने और निष्कासन के निषेध प्रावधान से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है, अस्वीकृत की जाती है। विद्यार्थी यह जानते हैं कि उन्हें कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता, इसलिए वे विद्यालय नहीं आते हैं तथा पढ़ाई में रुचि भी नहीं लेते हैं। प्रावधान का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध प्रावधान का प्रभाव

शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न के निषेध का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। परिकल्पना शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न के निषेध से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती, अस्वीकृत की जाती है। विद्यालयों में विद्यार्थी निदानात्मक कक्षाओं में उपस्थित ही नहीं होते हैं। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का भय नहीं है। वे परीक्षाओं में भी लापरवाही करते हैं। विद्यालय में शिक्षकों की आज्ञा का पालन नहीं होता है अर्थात् अनुशासनहीनता है।

विद्यार्थियों की नियमितता का शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसंबंध

विद्यार्थियों की नियमितता का शैक्षिक उपलब्धि के मध्य उच्च सहसंबंध है अर्थात् यदि विद्यार्थी विद्यालय में नियमित विद्यालय जाता है तो उसकी शैक्षिक उपलब्धि उच्च होगी। इस शोध द्वारा प्राप्त निष्कर्ष की पुष्टि लॉस (2013) और अलशमारी (2011) के शोध निष्कर्ष से होती है, जिसमें पाया गया कि विद्यार्थियों की उपस्थिति दर का उनके संपूर्ण शालेय उपलब्धियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे नियमित रूप से शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, उनमें अधिगम बेहतर होता जाता है।

विद्यालयों की स्थिति

विद्यालय बच्चों के लिए ज्ञान और मनोरंजन का केंद्र होता है। विद्यार्थियों का संपूर्ण जीवन विद्यालय से प्रभावित होता है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को निर्भय, ज्ञानी, सक्षम और समृद्ध बनाना है, किंतु जिस तरह के विद्यालय भवनों में शिक्षा दी जाती है, उससे ज़्यादा कौशल विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बच्चों के पढ़ने के लिए हर कक्षानुसार कमरे नहीं हैं। स्कूलों में बिजली, साफ़ पेयजल का पुख्ता इंतज़ाम नहीं है। इस शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष सामने आता है कि इस अधिनियम के लागू होने के छह साल बीतने के बाद भी विद्यालयों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार-बार आदेश देने के बाद भी स्कूलों में बालक व बालिका के लिए पृथक शौचालय तक नहीं हैं और जहाँ पर पृथक शौचालय हैं, वहाँ की सफ़ाई नहीं होती है। स्कूलों में पुस्तकालय की सुविधा, सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवॉल व गेट की कमी है। कुल मिलाकर बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।

शोध अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्तमान समय में एक आशा की किरण है, जो हमारे विद्यार्थियों के चहुमुँखी विकास और स्वर्णिम भविष्य की नींव के रूप में प्रस्तुत है। इसमें बाल-केंद्रित गतिविधियों, खोज आधारित शिक्षा, खेल-खेल में शिक्षा, परीक्षा के डर से दूर, भयमुक्त वातावरण में शिक्षा की बात प्रमुख प्रावधानों में सम्मिलत है। शासन चाहे तो इस शोध अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार जनहित में नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं। सम्माननीय कार्य स्थिति व उचित वेतन की व्यवस्था कर शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे शिक्षक खुशी-खुशी अपना कार्य करें।

शोध अध्ययन के आधार पर ज्ञात हुआ कि विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का किस स्तर तक पालन कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने विद्यालयों में प्रवेश तो ले लिया है, पर वे विद्यालयों में मित्रों व शिक्षकों से किस तरह समायोजन कर पा रहे हैं, वे विद्यालय में कितना नियमित उपस्थित हो रहे हैं तथा इसका विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस शोध अध्ययन से नए तथ्य प्रकाश में आए हैं, इन तथ्यों पर आधारित नीतिगत निर्णय लेने और क्रियान्वयन करने से हमारे देश तथा समाज का भविष्य उन्नत, उज्ज्वल एवं प्रभावकारी होगा।

संदर्भ

अग्रवाल, विजय. 2006. *पढ़ो तो ऐसे पढ़ो*. इन्द्रा पब्लिशिंग हाऊस, भोपाल, मध्य प्रदेश.

आचार्य, ए. 2013. *कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन इन आंध्रप्रदेश—ए पॉलिसी*. पी.एच डी. शोध प्रबंध, आसाम विश्वविद्यालय, असम.

आर्य, पी.के. 2006. *बच्चों की प्रतिभा कैसे निखारें*. मनोज पब्लिकेशंस, दिल्ली.

के., रॉल 1969. *कुण्ठा एवं द्वंद्व—असामान्य मनोविज्ञान*. मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली. पृ.107.

कुमार, अनिल 2014. 'हरियाणा प्रदेश की होडल तहसील के प्राथमिक विद्यालयों पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभाव का अध्ययन.' पी.एच.डी. शोध प्रबंध, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल.

कौल, लोकेश. 2001. *शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली*. विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि., नयी दिल्ली.

कौशिक, एस.एच. 1977. *शिक्षा क्रम विकास*. हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, राजस्थान

क्षेत्रपाल, बी.एस. 2011. *निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं नियम 2010*. क्षेत्रपाल पब्लिकेशन, इंदौर, मध्य प्रदेश.

खरजे, प्रदीप. 2014. 'आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र की हाईस्कूल में अंग्रेज़ी के परिणाम का तुलनात्मक अध्ययन.' एम. एड. लघु शोध प्रबंध, शिक्षा महाविद्यालय, खंडवा.

जॉन, होल्ट. 2002. *बच्चे असफल कैसे होते हैं?* एकलव्य प्रकाशन, भोपाल, मध्य प्रदेश.

पांडेय और पांडेय संजीव. 2015. 'शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के कारणों का तुलनात्मक अध्ययन.' *सामाजिक शोध योजना*. वॉल्यूम-2 . पृ.14

पाल, एच.आर. 2008. *शैक्षिक शोध*. मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल.

बघेका, गिजुभाई 2001. *माता-पिता से*. मांटेसरी बाल शिक्षण समिति.

बघेल, चंद्रावली और भूपेन्द्र निगम, 2009. *शोध मंथन रिसर्च डॉक्यूमेन्ट—2009*. राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल, पृ.149.

मजूमदार और रामचौधरी. 2011. 'अटेंडेंस इज़ वन ऑफ़ द मेजर फ़ेक्टर फ़ॉर अकेडमिक परफ़ॉमेंस ऑफ़ द स्टूडेंट्स ऑफ़ एलीमेंट्री क्लासेस. *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू*. वॉल्यूम-50, पृ.47. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.